

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, (छ0ग0)  
आदेश**

क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा/1670 /2020

बिलासपुर, दिनांक- 24 अप्रैल, 2020

छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 189/स.प्र.वि./2020, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक- 16.04.2020, निर्देश क्रमांक 191/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक- 22.04.2020 तथा निर्देश क्रमांक 195/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक- 20.04.2020 के माध्यम से प्राप्त निर्देश के परिपालन में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा0 /1657/2020 बिलासपुर दिनांक- 22 अप्रैल, 2020 के द्वारा 20 अप्रैल, 2020 से चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियों को निर्धारित समय-सीमा के लिए संचालन की छूट प्रदान की गई है। कार्यालयीन आदेश दिनांक- 22 अप्रैल, 2020 में उल्लेखित प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु निर्धारित समय में परिवर्तन करते हुए निम्नानुसार समय निर्धारित किया जाता है-

क्रमांक	संस्थान/दुकानों का विवरण	खोलने एवं बंद होने का समय/स्थिति
1	सभी मंडियां, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली) कृषि मशीनरी विक्रय एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकाने, खाद/उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विक्रय, पशु चारा (चौपाया, मछली चारा),	प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक
2	डेलीनीड्स, किराना, आटा चक्की, मोबाईल रिचार्ज दुकान एवं चश्मा दुकान, वाटर केन, पनीर एवं दूध से निर्मित मिठाईयां,	प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक
3	मिल्क पार्लर	प्रातः 07.00 बजे से 01.00 बजे तक एवं सायं 5.00 बजे से 7.00 बजे तक
4	आटो मोबाईल/टायर, एवं टायर पंचर की दुकान इलेक्ट्रिकल/हार्ड वेयर,/स्टेशनरी,/सेनेटरी (फ्लम्बर) आयटम/बिजली पंखे की दुकान/निर्माण सामग्रीयों की दुकान-यथा सीमेंट, सरिया आदि	सप्ताह में प्रत्येक सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार को प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक

- 2/ गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जिले में उपरोक्त कार्यवाही की जावे। शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
- 3/ पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।



(डॉ० संजय अलंग)  
जिला दण्डाधिकारी,  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)  
बिलासपुर, (छ0ग0)

//2//

पृ० क्रमांक/रीडर-जि०दण्डा/1670-1/2020

बिलासपुर, दिनांक- 24 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि-

- 1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, को सादर सूचनार्थ ।
- 2- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सादर सूचनार्थ ।
- 3- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, को सादर सूचनार्थ ।
- 4- आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ ।
- 5- पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर,
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर
- 8- आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर,
- 9- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर,
- 10- अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बिलासपुर/कोटा/मस्तुरी एवं बिल्हा,
- 11- सर्व तहसीलदार समस्त.....जिला- बिलासपुर
- 12- सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी.....जिला- बिलासपुर
- 13- सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.....जिला- बिलासपुर
- 14- उप संचालक, जनसंपर्क , बिलासपुर को समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ ।  
जिला- बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
जिला दण्डाधिकारी  
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)  
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)